

**मूल वाद में डिफ्री**  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
**न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु**  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) **केम्प मौलीसर बड़ा**

पीठासीन अधिकारी :- **राहुल सेनी P.A.S.**

उनवान

**तारापणी आडे**

बनाम

**शपस्वात सरकार**

दावा बाबत **गण दुरुस्ती U/S 88 RTA**

मुकदमा नम्बर :- **105/2021**

निर्णय दिनांक :- **18-11-2021**

बादी की ओर से **स्वयं** को व प्रतिवादी की ओर से **पैरोकाइश** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **18-11-2021** को **राहुल सेनी P.A.S.** (नाम पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिफ्री दी जाती है कि -

दावावादी स्वीकार किया जाकर कि **शक्ति शक्ति शक्ति** शही जगन हापूसर स्वयं न. 249/174, 353/174, 354/174, 355/174, 48, 50, 78 खातान. 77 में खातेदार **तारापणी, मनोज कुमार, सखी, सोकुमार** के स्वाम पर क्रमशः **तारापणी, नन्दकिशोर, ललिता, अशोक कुमार** के नामों का आदेश दिया जाता है। **लहरीलाल, चूरु** उक्तानुसार **राजस्थान** रिकॉर्ड में अपन दखलदारी में **निर्देश** दिए जाते हैं।

खर्चा पक्षकाराने अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **18-11-2021** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



**राहुल सेनी**  
(**राहुल सेनी**)  
पीठासीन अधिकारी  
**उपखण्ड अधिकारी**  
चूरु

वाद के खर्चे

चूरु

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .....रुपयें पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	



ना.प. **542**  
**24-11-21**